राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
(श्रम विभाग)
5—शाम नाथ मार्ग, दिल्ली—110054

अतारांकित प्रश्न संख्या : 163
दिनांक : 8 जून, 2018
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री नितिन त्यागी

	प्रश्न		उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि भारत सरकार द्वारा इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946 में 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' शब्द को हटाकर बदली शब्द का प्रयोग करने हेतु दिनांक 10/10/2007 को एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था,	:	जी हाँ ।
ख	क्या सरकार द्वारा पुन 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' शब्द को ही बहाल कर दिया गया है,	:	जी हाँ ।
ग	यदि हाँ, तो इसको बहाल करने की तिथि क्या है,	:	इसको बहाल करने की तिथि 16 मार्च, 2018 है ।
घ	क्या कुछ कंपनियाँ दिनांक 10/10/2007 की अधिसूचना के बाद भी 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' शब्द का प्रयोग अपने रोजगार अनुबंधों में कर रही थीं,	:	श्रम विभाग के दक्षिण—पश्चिम जिला में मैसर्स स्काई गोरमेट कंपनी द्वारा 'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' शब्द का वर्ष 2007 के बाद भी प्रयोग किया गया, जो कि औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम, 1946 के प्रावधानों के विपरीत था । इसके अलावा इस विषय में अब तक कोई भी मामला श्रम कार्यालय, दिल्ली सरकार के संज्ञान में नहीं आया है ।
ड़	'फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट' शब्द का दुरुपयोग करने वाली ऐसी कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है ?	:	मैसर्स स्काई गोरमेट के प्रबंध निदेशक/निदेशक के विरूद्ध माननीय मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में श्रम विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा चालान लगाया गया है

हस्ताक्षर
सक्सेना

विभागाध्यक्ष

SANJAY KUMAR SAXENA
Secretary (Labour)